

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

कदमा संख्या :- 55/2023

1. सुवालाल पुत्र हजारीलाल गुर्जर निवासी गोगाडा बाडिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा
प्रार्थी.....

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र गुल सिंह रावत निवासी गोगाडा बाडिया तहसील करेडा व अन्य
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 10.02.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोगाडा बाडिया पटवार हल्का शाणा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या (S.) आराजी नम्बर..... 163 / 4202/163 / 4204/163
0.9105 / 0.2909 / 0.6703

कुल किता 03 रकबा 1.8717

हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10/2/23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गोगाडा बाडिया पटवार हल्का शाणा तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या (S.) आराजी नम्बर..... 163 / 4202/163 / 4204/163
0.9105 / 0.2909 / 0.6703

कुल किता 03 रकबा 1.8717

हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जानश्री को /- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रतिलिपी: तहसीलदार करेडा को भेजकर देखें कि प्रार्थी द्वारा जमा करने पर निम्नानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना सिद्ध 07 दिनांक में प्रस्तुत करें।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा